



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1036]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 1036]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSHA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1594(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1334(अ), द्वारा तारीख 27 अक्टूबर, 2017 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, 27 अक्टूबर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1971 में,—
(क) नियम 17 के उपनियम (1) में “प्ररूप 1 में” शब्दों और अंकों से स्थान पर “कतिपय श्रम विधि नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपावद्ध प्ररूप 13 में” शब्द और अंक रखे जाएंगे

(ख) नियम 82 में,—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) प्रत्येक मूल नियोक्ता और ठेकेदार, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय विशिष्ट नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप 14 में आनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से वह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पहले फाइल करेगा”;

(ii) उप नियम (2) का लोप किया जाएगा।

(घ) प्ररूप 24 और प्ररूप 25 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एस डबल्यू (ए)(ii)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पणी : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191 द्वारा तारीख 10 फरवरी, 1971 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 5 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1128(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

G.S.R. 1594(E).—Whereas, a draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, was published, as required by sub-section (1) of section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1334(E), dated the 27th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27th October, 2017;

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, namely:-

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,—

(a) in rule 17, in sub-rule (1), for the words and figure “in Form I”, the words and figures “in Form XIII annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;

(b) in rule 82,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Every principal employer and contractor shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Central Government in the Ministry of Labour and

Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.”;

- (ii) sub-rule (2) shall be omitted;
- (c) Form XXIV and Form XXV shall be omitted.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)(ii)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. Director-General (Labour Welfare)

Note : The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 191, dated the 10th February, 1971 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1128(E), dated the 5th September, 2017.